शोध मंथन Vol. XVI No.2 Apr.- June. 2025 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X, Impact Factor 8.877 (SJIF)
https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i02.45

मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी ब्लॉक के परिषदीय विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र नामांकन एवं विद्यालय परित्याग के संदर्भ में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का अध्ययन

प्राप्तिः 05.04.2025
स्वीकृतः 22.05.2025

45

प्रतिभा रानी
शोधार्थीनी (समाजशास्त्र विभाग)
के.जी.के. महाविद्यालय, मुरादाबाद
महात्मा ज्योतिबा फुले वि.वि., बरेली
ईमेलः*kittumom1984@gmail.com*

डॉ. ममता रानी
प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग)
के.जी.के. महाविद्यालय, मुरादाबाद
महात्मा ज्योतिबा फुले वि.वि., बरेली

सारांश

प्रस्तुत शोध में मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी ब्लाक के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं संविलियन विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र नामांकन एवं विद्यालय परित्याग के संदर्भ में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति का अध्ययन किया गया है। यह शोध मात्रात्मक शोध विधि पर आधारित है जिसमें सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत अभिलेख विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया है। शोध न्यादर्श में कुंदरकी ब्लाक की 11 न्यायपंचायत से 45 प्राथमिक विद्यालय, 27 संविलियन विद्यालय एवं 18 उच्च प्राथमिक विद्यालय , इस प्रकार कुल 90 परिषदीए विद्यालय का शोध न्यादर्शन की उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श विधि द्वारा चयन किया गया है। पर्दत्व के विश्लेषण में मध्य एवं औसत सांख्यिकीय वीडियो का प्रयोग किया गया है शोध निष्कर्ष मे पाया गया की इन परिषदीय विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात शिक्षा के अधिकार अधिनियम मानकों के अनुरूप पूर्ण नहीं है। वहीं विद्यालयों में छात्र नामांकन उच्च एवं छात्रों के विद्यालय परित्याग की स्थिति निम्न पायी गई है। कुंदरकी ब्लाक के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है एवं विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात को मानक अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।

मुख्य बिंदु

छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र नामांकन, विद्यालय परित्याग,शिक्षा का अधिकार अधिनियम।

प्रस्तावना

शिक्षा व्यक्ति,समाज और राष्ट्र के लिए एक अमूल्य निधि है। यह मानव जाति के लिए हमेशा ही आशा की किरण रही है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की ऐसी स्वतंत्रता है जो उसके जीवन में पूर्णता

की अभिव्यक्ति जगाकर सबके बीच समानता लाए,व्यक्तिगत उत्कृष्टता को बढ़ावा दे तथा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता पर बल दें। शिक्षा मानव जाति के हजारों वर्षों से संचित ज्ञान, मूल्य, नैतिकता, विश्वास एवं परंपराओं का संरक्षण एवं परिवर्धन करके उसे नई पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। यही कारण है कि शिक्षा की सामाजिक एवं सांस्कृतिक महतत्ता को सभी सभ्यता और संस्कृति ने अपने–अपने तरीके से स्वीकार किया है। हर सभ्यता एवं संस्कृति में शिक्षा को एक विशेष स्थान दिया गया है और शिक्षा को व्यक्ति एवं समाज के विकास में अपरिहार्य माना गया है। शिक्षा की वह साध ान है जो किसी व्यक्ति समाज और राष्ट्र को विकास एवं परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध करती है। उन्नत, आदर्श एवं व्यवस्थित समाज के लिए उन्नत, आदर्श एवं उत्कृष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। अतः किसी राष्ट्र या समाज की शिक्षा को ऐसा होना चाहिए कि यह हमारे अतीत के सौंदर्य को प्रकट करें, हमारे वर्तमान को सर्वोत्कर्ष बनाएं एवं भविष्य को सुरक्षित करें। शिक्षा ने ही मानव के सर्वांगीण विकास,समाज के सर्जनशील विकास तथा राष्ट्र के कल्याणकारी विकास के साथ–साथ सभ्यता एवं संस्कृति के मार्ग को प्रशस्त किया है।

• **प्राथमिक शिक्षा–** राष्ट्रीय शिक्षा को मुख्य रूप से तीन स्तरों में विभाजित किया जाता है, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा। इनमें प्राथमिक शिक्षा,शैक्षिक व्यवस्था की प्रथम सीढ़ी है, यह संपूर्ण शिक्षा का आधार है। जबकि राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का अपना महत्व है, जहां माध्यमिक शिक्षा जीवन कौशलों में दक्षता प्रदान करती है वही ज्ञान के विकास एवं परिशोधन में उच्च शिक्षा का सर्वोपरि स्थान है। किंतु राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा प्रथम महत्व की विषय वस्तु है। यही वह सीढ़ी है जिसे सफलतापूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अपने भविष्यगामी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। प्राथमिक शिक्षा के इसी महत्व को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा संविधान के 86 वें संशोधन 2002 के द्वारा एक नया उपबंध अनुच्छेद–21, (अ) सम्मिलित किया गया। जिसके माध्यम से भारत में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कर दिया गया।

•**शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009–** भारत सरकार द्वारा 86 वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में नया उपबंध जोड़कर 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस मौलिक अधिकार को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए संसद द्वारा सन 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में लागू कर दिया गया।

यह अधिनियम भारतीय संविधान की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का एक अनुपम उदाहरण है। इसकी प्रभावी क्रियान्वित्ती से भारत में व्याप्त निरक्षरता के उन्मूलन में प्रभावी सहायता मिली है एवं सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना आसान हुआ है। भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अतः इस अधिनियम को क्रियान्वित करना राज्य का दायित्व है। अब 6 से 14 वर्ष के बालक को शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य को बाध्य किया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम से समावेशी शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों को बल मिला है। इस अधिनियम के द्वारा शिक्षा की परिधि में समाज के सभी वर्गों को लाने की भावना को वास्तविक रूप दिया गया

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i02.45

है। इसके साथ ही इस अधिनियम के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त क्षेत्रीय एवं वर्गवार विषमता को भी समाप्त करने में मदद मिल रही है।

- शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 8 में सभी वर्गों के बालकों के साथ समान व्यवहार एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाने एवं बच्चों के साथ किसी प्रकार के भेदभाव पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। इस धारा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाठ्यक्रम को समान अवधि में पूर्ण करना, प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश,उपस्थिति एवं उसके पूर्ण करने को सुनिश्चित करने के प्रावधान किए गए हैं,साथ ही विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती एवं प्रशिक्षण सुविधा के विषय में भी विस्तृत प्रावधान किए गए हैं।
- अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होना चाहिए। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 शिक्षक होना चाहिए।
- इसी प्रकार अधिनियम की धारा 3, धारा 4 एवं धारा 10 में बालक के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य नामांकन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यह अधिनियम प्रत्येक बालक द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति एवं उसे पूरा करने को सुनिश्चित करने के प्रावधान करता है।

• **अध्ययन की आवश्यकता–** शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा भारी बजट खर्च किया जा रहा है। राज्य एवं केंद्रीय सरकार द्वारा विगत वर्षों में व्यापक स्तर पर विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं का विकास एवं शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या मात्र शिक्षा का कानून बना देने से ही देश व राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर की दृष्टि से विचार करें तो देश के प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश की चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। देश के सभी राज्यों में साक्षरता दर के घटते क्रम में उत्तर प्रदेश 22 स्थान पर है तो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के संयुक्त क्रम में यह 29 वे स्थान पर है। यही नहीं उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय आधार पर भी साक्षरता दर में अत्यधिक असमानता है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से प्रयागराज पहले स्थान पर,मुरादाबाद दूसरे स्थान पर एवं गाजियाबाद तीसरे स्थान पर था। परंतु इन तीनों ही जनपदों की साक्षरता दर देखें तो इनमें अत्यधिक असमानता है। प्रयागराज 74.41 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ प्रदेश में 15वें स्थान पर था,गाजियाबाद 85 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ प्रदेश में शीर्ष पर था, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर स्थित मुरादाबाद की साक्षरता दर 58.67 प्रतिशत थी और साक्षरता दर की दृष्टि से यह प्रदेश में 71 जनपदों में 66वें स्थान पर था। यह गाजियाबाद की साक्षरता दर से 26.33 प्रतिशत कम थी। इन आंकड़ों से मुरादाबाद जनपद में प्राथमिक शिक्षा की दुर्दशा की स्थिति का पता चलता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के पश्चात मुरादाबाद जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालय की आधारभूत, भौतिक व शैक्षिक सुविधाओं, छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र नामांकन एवं विद्यालय परित्याग में क्या परिवर्तन हुआ है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए शोधार्थीनी द्वारा इस विषय एवं इस क्षेत्र को अपने शोध अध्ययन के रूप में चयनित किया है।

•समस्या कथन– मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी ब्लॉक के परिषदीय विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र नामांकन एवं विद्यालय परित्याग के संदर्भ में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का अध्ययन।

शोध अध्ययन के उद्देश्य –

1. मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी ब्लॉक के परिषदीय विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात की स्थिति का अध्ययन करना।
2. मुरादाबाद जनपद में कुंदरकी ब्लॉक के परिषदीय विद्यालयों में छात्रों के नामांकन एवं विद्यालय परित्याग की स्थिति का अध्ययन करना।

शोध अवधारणाएं–

1. मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी ब्लॉक के परिषदीय विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण है।
2. मुरादाबाद जनपद में कुंदरकी ब्लॉक के परिषदीय विद्यालय में छात्र नामांकन की स्थिति उच्च एवं विद्यालय परित्याग की दर निम्न है।

शोध विधि– यह शोध मात्रात्मक शोध विधि पर आधारित है। इसमें सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत अभिलेख विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध न्यादर्ष– शोधार्थिनी द्वारा अपने शोध क्षेत्र कुंदरकी ब्लाक की सभी 9 न्याय पंचायत में से प्रत्येक न्याय पंचायत से समान रूप से 5–5 प्राथमिक विद्यालयों 3–3 सविलियन विद्यालयों एवं 2–2 उच्च प्राथमिक विद्यालय का चयन न्यादर्शन की उद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन विधि के द्वारा किया गया है। इस प्रकार शोधार्थिनी द्वारा कुल 45 प्राथमिक, 27 सविलियन एवं 18 उच्च प्राथमिक विद्यालयों इस प्रकार कुल 90 परिषदीय विद्यालयों का न्यादर्श के रूप में चयन किया गया है।

प्रदत्त विश्लेषण– प्रदत्तो का विश्लेषण एवं व्याख्या निम्नलिखित है –

अवधारणा 1– मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी ब्लॉक के परिषदीय विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण है।

सारणी 1.0 कुन्दरकी ब्लॉक में न्यादर्श में सम्मिलित परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2022–23 में प्रधानाध्यापक विहीन, एकल शिक्षक एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुरुप छात्र–शिक्षक अनुपात वाले विद्यालयों भी स्थिति का विवरण–

विषय	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय		संविलियन विद्यालयों	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
प्रधानाध्यापक विहीन	08	17.77	00	00	20	74.07
एकल शिक्षक विद्यालय	01	2.22	02	11.11	02	7.40
मानकों के अनुरूप छात्र–शिक्षक अनुपात वाले विद्यालय (नियमित शिक्षक)	20	44.44	08	44.44	P.S.11	40.74
					U.P.S.19	70.37
मानको के अनुरूप छात्र–शिक्षक अनुपात वाले विद्यालय (शिक्षामित्र/अनुदेशक सहित)	37	82.22	11	61.11	P.S.17	62.96
					U.P.S.21	77.77

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i02.45

- उपरोक्त सारणी 1.0 के अवलोकन से ज्ञात हो रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में 08 विद्यालय अर्थात 17.77 प्रतिशत विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं है ये विद्यालय प्रधानाध्यापक के अभाव में चल रहे है। 01 विद्यालय अर्थात 2.22 प्रतिशत विद्यालय केवल एक शिक्षक के द्वारा संचालित है। नियमित शिक्षकों के आधार पर छात्र–शिक्षक अनुपात 20 विद्यालयों अर्थात 44.44 प्रतिशत विद्यालयों में मानकों के अनुरूप पाया गया है। वहीं नियमित शिक्षकों के साथ शिक्षामित्रों को सम्मिलित करने पर 37 विद्यालयों अर्थात 82.22 प्रतिशत विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात मानकों के अनुरुप पाया गया है। स्पष्ट है कि 18 प्रतिशत विद्यालय शिक्षकों की कमी का सामना कर रहे है।
- इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक है अर्थात कोई भी विद्यालय प्रधानाध्यापक विहीन नहीं पाया गया है। वहीं 02 अर्थात 11.11 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय एकल शिक्षक पाये गये है। 08 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें नियमित शिक्षकों के आधार पर छात्र–शिक्षक अनुपात मानकों के अनुरूप है प्रतिशत के रूप में ऐसे विद्यालय 44.44 प्रतिशत है। इसी प्रकार नियमित शिक्षकों के साथ अनुदेशकों को सम्मिलित करने पर मानकों के अनुरुप छात्र–शिक्षक अनुपात वाले विद्यालयों की संख्या 11 अर्थात 61.11 प्रतिशत पायी गई है। स्पष्ट है कि लगभग 39 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की कमी का सामना कर रहे है।
- संविलियन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक विहीन विद्यालयों की संख्या 20 अर्थात 74.07 प्रतिशत पायी गई है। 02 संविलियन विद्यालय अर्थात 7.40 प्रतिशत विद्यालय एकल शिक्षक पाये गये है, अर्थात इन विद्यालयों एक शिक्षक सभी कार्यों के साथ–साथ सभी विषयों को पढ़ा रहा है अथवा वह सभी कक्षा में अध्यापन नहीं कर पा रहा है। नियमित शिक्षकों के साथ 11 संविलियन विद्यालय अर्थात 40.74 प्रतिशत विद्यालयें में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक मानकों के अनुरुप छात्र–शिक्षक अनुपात पाया गया है। वहीं कक्षा 6 से कक्षा 8 तक 19 अर्थात 70.37 प्रतिशत विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात मानकों के अनुरुप है। नियमित शिक्षकों के साथ शिक्षामित्र को सम्मिलित करने के पश्चात 17 विद्यालयों अर्थात 62.96 प्रतिशत विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक छात्र शिक्षक अनुपात मानकों के अनुरूप पाया गया है। इसी प्रकार 21 विद्यालयों अर्थात 77.77 प्रतिशत विद्यालयों में ही छात्र शिक्षक अनुपात मानकों के अनुरुप पाया गया है। स्पष्ट है कि विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है।

उपरोक्त सारणी 1.0 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो रहा है कि कुन्दरी ब्लॉक के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व संविलियन विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात शिक्षा के अधिकार अधि ानियम में दिये गये मानकों के अनुरुप नहीं है। 50 प्रतिशत से भी अधिक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं संविलियन विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है। इतना ही नहीं शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों को सम्मिलित करने के बाद भी छात्र–शिक्षक अनुपात मानको के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों का अभाव है। शिक्षको की कमी का सीधा प्रभाव छात्र की शैक्षिक गुणवत्ता अर्थात शैक्षिक उपलब्धि पर नाकारात्मक रूप से पड़ता है। गुणवत्ताहीन शिक्षा प्राप्त करके छात्र व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते है। इसका

प्रभाव सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया पर नाकारात्मक रुप से होता है। परिणामस्वरुप ये प्रक्रियायें धीमी हो जाती हैं। उपरोक्त ऑकड़ों के विश्लेषण के पश्चात यह स्पष्ट हो गया है कि कुन्दरकी ब्लॉक के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है। अतः शोधार्थिनी द्वारा निर्मित की गई अवधारणा ''मुरादाबाद जनपद में कुन्दरकी ब्लॉक के परिषदीय विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात पूर्ण है।''असत्य सिद्ध होती है। अतः कहा जा सकता है कि कुन्दरकी ब्लॉक के परिषदीय विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात पूर्ण नहीं है।

•अवधारणा 2– मुरादाबाद जनपद में कुंदरकी ब्लाक के परिषदीय विद्यालय में छात्र नामांकन की स्थिति उच्च एवं विद्यालय परित्याग की दर निम्न है।

सारणी–2.0 कुन्दरकी ब्लॉक के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं संविलियन विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2022–23 में न्यायपंचायत अनुसार नामांकन, परित्याग, अवधारण एवं परित्याग दर का विवरण–

विद्यालय	नामांकन	परित्याग	अवधारण	परित्याग दर	अवधारण प्रतिशत
प्राथमिक	4217	114	4103	2.71	97.29
उच्च प्राथमिक	2064	47	2017	2.28	97.72
संविलियन	कक्षा 1 से 5 4106	133	3973	3.24	96.76
	कक्षा 6 से 8 2352	62	2290	2.64	97.36
कुल	**12739**	**356**	**12383**	**2.80**	**97.20**

- उपरोक्त सारणी 2.0 कुन्दरकी ब्लॉक के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सविलियन विद्यालयों में वर्ष 2022–23 के छात्र नामांकन, विद्यालय परित्याग, एवं अवधारण के आँकड़ों को स्पष्ट करती है। सारणी के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि कुन्दरकी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों में 4217 छात्रों का नामांकन हुआ है जिनमें से 114 छात्रों ने विद्यालय का परित्याग किया है। इस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों में परित्याग दर 2.71 प्रतिशत है जिसे अधिक नहीं कहा जा सकता है। प्राथमिक विद्यालयों में 97.29 प्रतिशत छात्रों का अवधारण है। जो उच्च कहा जायेगा।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति प्राथमिक विद्यालयों से बेहतर है। इन विद्यालयों में 2064 छात्रों का नामांकन हुआ जिसमें से 47 छात्रों का विद्यालय परित्याग हुआ है। इस प्रकार विद्यालय परित्याग दर 2.28 प्रतिशत रही है। जिसे कम कहा जा सकता है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 97.72 प्रतिशत छात्रों का अवधारण अर्थात 97.72 प्रतिशत छात्रों विद्यालय में ठहराव रहा है।
- संविलियन विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक 4106 छात्रों का नामांकन हुआ जिसमें से 133 छात्रों ने विद्यालय परित्याग किया है। इस प्रकार विद्यालय परित्याग दर 3.24 प्रतिशत रही है, जो उच्च है। इस सन्दर्भ में देखें तो यह परित्याग दर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों से अधिक है। संविलियन विद्यालयों में छात्रों का अवधारण 96.76 प्रतिशत रहा है। जो सबसे कम हैं स्पष्ट है कि संविलियन विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक परित्याग दर एवं अवधारण की स्थिति अच्छी नहीं है।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i02.45

- इसी प्रकार संविलियन विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक 2352 छात्रों का नामांकन हुआ है। जिनमें से 62 छात्रों ने विद्यालय परित्याग किया। इस प्रकार संविलियन विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक परित्याग दर 2.64 प्रतिशत रही है। जिसे सन्तोषजनक कहा जा सकता है। संविलियन विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक 97.36 प्रतिशत छात्रों ने अपनी शिक्षा पूर्ण की अर्थात अवधारण प्रतिशत 97.36 रहा है। कुन्दरकी ब्लॉक में न्यादर्श रूप में चयनित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं संविलियन विद्यालयों में 12739 छात्रों का नामांकन हुआ, इनमें से 356 छात्रों ने विद्यालय परित्याग किया। इस प्रकार कुन्दरकी ब्लॉक के विद्यालयों में परित्याग दर 2.80 प्रतिशत रही है। 97.20 प्रतिशत अवधारण रहा है। जिसे सन्तोषजनक कहा जा सकता है। अतः शोधार्थिनी द्वारा बनायी गई अवधारणाऐं 'मुरादाबाद जनपद में कुन्दरकी ब्लॉक के परिषदीय विद्यालयों में छात्रों के नामांकन की स्थिति उच्च एवं विद्यालय परित्याग की दर निम्न है।' सत्य है। कुन्दरकी ब्लॉक के परिषदीय विद्यालयों में छात्र नामांकन उच्च है एवं विद्यालय परित्याग दर निम्न है।

शोध निष्कर्ष– शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि देश के 6 से 14 आयु वर्ष के सभी बच्चों को उनके समीप के विद्यालय में कक्षा एक से कक्षा आठ तक की प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से एवं निःशुल्क दी जाए। अधिनियम में प्रावधान है कि विद्यालय में बच्चों के नामांकन के साथ ही उनकी कक्षा में उपस्थिति को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा। इस हेतु राज्य सरकार अधिनियम में दिए गए मानकों के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात को पूर्ण करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती करेगी। किसी भी प्रकार की समस्या जो व्यावहारिक रूप से इस अधिनियम के क्रियान्वयन में बाधा पैदा कर सकती है,उसे दूर करने के लिए केंद्र राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के लिए स्पष्ट उत्तरदायित्व इस अधिनियम में निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू हुए 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं। किंतु यह चिंताजनक है कि मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी ब्लाक में 15 वर्ष पश्चात भी लगभग एक तिहाई परिषदीय विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात अधिनियम में दिए गए मानकों के अनुसार पूर्ण नहीं है। अभी भी कई विद्यालय एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं, ऐसे में प्रत्येक कक्षा के संचालन एवं उसमें छात्रों की उपस्थिति की वास्तविकता को समझा जा सकता है। एक शिक्षक ही सभी विषय को पढ़ा रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। परन्तु परिषदीय विद्यालयों में छात्र नामांकन एवं छात्रों के शिक्षा अधूरी छोड़ने की प्रवृत्ति पर इसका प्रभाव नहीं हुआ है। कुन्दरकी ब्लॉक के परिषदी विद्यालयों में छात्र–नामांकन एवं विद्यालय परित्याग दोनों की स्थिति उत्तम है। इन विद्यालयों में पर्याप्त नामांकन है एवं साथ ही विद्यालय परित्याग की दर निम्न ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम के परिणामस्वरूप नामांकन एवं परित्याग की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

सन्दर्भ

1. राठौर, आर. (2018), प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित सर्वशिक्षा अभियान (2000) एवं शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के क्रियान्वयन का आलोचनात्मक अध्ययन, *रिमार्किंग एन एनालाइजेशन*, वाल्यूम–3, इश्यू–8, नवम्बर, पृ० सं०–143–148.

2. बोडोपल्ली, जी० (2019), शिक्षकों द्वारा समझे गये शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की स्थिति और निहितार्थ पर एक अध्ययन, पी॰एच॰डी॰ शोध प्रबन्ध आन्ध्र विश्वविद्यालय, 2019. http:hdl.handle.net/10603/354247.
3. वैश्य, (2019). भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की उपादेयता, *स्कॉलरी रिसर्च जर्नल फॉर इन्टरडिसिपिलिनरी स्टडीज*, वाल्यूम–6/49, जनवरी–फरवरी, पृ० सं०–11729–11734.
4. सिंह, ए.के. व कुमार, एम. (2019), शिक्षा अधिकार अधिनियम के समक्ष चुनौतियाँ एवं समाधानः अपवंचित विद्यार्थियों के विशेष संदर्भ में, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिपलिनरी एजुकेशन एण्ड रिसर्च*, वाल्यूम–4, इश्यू–6, नवम्बर, पृ० सं०–07–10.
5. ईसा, एम.एफ.एवं पाण्डेय, वी.एस. (2019). शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विश्लेषणात्मक अध्ययन, स्कालरली रिसर्च जर्नल फॉर इन्टरडिसपल्निरी स्टडीज, जनवरी–फरवरी, वाल्यूम–6/149, पृ० सं०–11739 –11742.
6. पाल, एस॰ के॰, (2019), भारत में प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित मुद्दों एवं शिक्षा के आधार का अध्ययन, *जर्नल ऑफ एडवांस एण्ड स्कॉलरली रिसर्च इन एलॉयड एजुकेशन*, वाल्यूम–16, इश्यू–5, अप्रैल–2019, पृ० सं०–237–243.